कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/सैट-अप/2017 दिनांक 16/3/17

अति-आवश्यक/तत्काल

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा

विषयः- राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6-डी के तहत पंचायतीराज के तृतीय श्रेणी अध्यापको का सैट-अप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के संबंध में।

प्रसंगः- राज्य सरकार का पत्रांक प.17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 15.03.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक ग्रेड-III के दिनांक 01.04.2017 को रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम 6 डी के तहत शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 10.04.17 तक सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करावें। 6 डी के अनुसार सैट-अप परिवर्तन में उपलब्ध शिक्षको के पदस्थापन हेतु अलग से निर्देश जारी किये जावेंगे।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते है कि माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षा सैट-अप के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के दिनांक 01.04.17 को रिक्त पदों का संयुक्त रूप से आंकलन करावें। उक्त आंकलन पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को कुल रिक्त पदों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के नियम 6 डी के तहत पंचायतीराज विभाग के शिक्षकों के सैट-अप परिवर्तन की कार्यवाही कर दिनांक 10.04.17 तक आदेश जारी करावें।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर